UPRP010034922026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एन०डी०पी०एस०एक्ट),कोर्ट सं० 6, रामपुर।

दाण्डिक प्रकीर्ण(जमानत) प्रार्थना पत्र सं०–26/2026

रजि०सं०–810/2026

वीरेन्द्र सिंह आयु 45 वर्ष पुत्र कृष्णपाल सिंह,निवासी ग्राम आनन्दापुर,थाना दातागंज,जिला बदायूँ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

–बनाम–

उ०प्र०सरकार.....विपक्षी

मु०अ०सं० 180/2026
धारा–8/18 एन०डी०पी०एस०एक्ट
थाना बिलासपुर, रामपुर।

17–06–2026

प्राथी/अभियुक्त **वीरेन्द्र सिंह** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र, मु०अ०सं० 180/2026, अर्न्तगत धारा 8/18 एन०डी०पी०एस०एक्ट, थाना बिलासपुर, जिला रामपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त उक्त मामले में जिला कारागार में निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 21–05–2026 को समय 21.54 बजे, घटना स्थल ज्वालापुर फाटक से पहले , अर्न्तगत थाना बिलासपुर जिला रामपुर में उप निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह व उनकी पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह को गिरफतार किये जाने पर उसके कब्जे से 427 ग्राम नाजायज नशीला पदार्थ/अफीम बरामद किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्यतः कथन किये गये है कि प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में झूठा एवं फर्जी मुल्जिम बनाया गया है। प्रार्थी दिनांक 22–05–2026 से जिला कारागार रामपुर में निरुद्ध है।प्रार्थी बेगुनाह तथा बेकसूर है।प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रकरण की घटना दिनांक 21.05.2026 को समय 09.54 बजे की ज्वालापुर फाटक की दर्शायी गयी है, जहाँ पर हर समय लोगों का आवागमन बना रहता है,किन्तु जनता के किसी व्यक्ति को प्रस्तुत प्रकरण में गवाह नहीं बनाया गया है। अभियुक्त के आधिपत्य से कोई बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्त को उक्त प्रकरण में झूठा नामित किया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध धारा 8/18 एन०डी० पी०एस०एक्ट का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट 04 घण्टे के विलम्ब से लिखाई गई है। बिलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।मुकदमे के सभी गवाहान पुलिस पाटी के सदस्य हैं। कोई भी निष्पक्ष एवं स्वतंत्र गवाह नहीं है। अभियुक्त की कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अभियुक्त का कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद अथवा किसी अन्य न्यायालय में लंबित नहीं है। अभियुक्त उपरोक्त पते का स्थाई निवासी है।

Digitally signed by PINKU KUMAR
Date: 2026.06.17 04:20:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्त विश्वसनीय जमानती देने को तैयार है। अतः उक्त आधारो पर अभियुक्त ने जमानत स्वीकार किये जाने की याचना की।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कहा गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से 427 ग्राम नाजायज अफीम की बरामदगी हुयी है, जिसे रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है। कथित बरामदगी धारा 50 एन०डी०पी०एस०एक्ट के अनुपालन में राजपत्रित अधिकारी, क्षेत्राधिकारी बिलासपुर, रामपुर के समक्ष की गयी है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त से बरामद उक्त अफीम को अभियुक्त द्वारा बेचकर आर्थिक लाभ अर्जित करने का कथन किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में जो आधार लिये गये है, वह साक्ष्य का विषय है। मामले में विवेचना प्रचलित है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/**अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 26/2026, मु०अ०सं० 180/2026, अन्तर्गत धारा 8/18 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना बिलासपुर, जिला रामपुर, निरस्त किया जाता है।

(पिंकू कुमार)
विशेष न्यायाधीश(NDPS Act)
कक्ष सं० 6, रामपुर।
J.O.Code–UP2659

दिनांकः 17–06–2026